कार्यालय, कलेक्टर (खाद्य शाखा) कोरबा जिला– कोरबा (छत्तीसगढ़)

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक 6230 / खाद्य/उ.मू. दु.आबंटन/2020 कोरबा दिनाक 24/07/2020

कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 6218/खाद्य/उ मू दु आबंटन/2020 कोरबा दिनांक 17.07.2020 द्वारा नगर पालिक निगम–कोरबा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 50 नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाकर दिनांक 27.07.2020 को सांय 5 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय में आमंत्रित किया गया था।

वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा के आदेश क्रमांक 10878/सांलि/2020 कोरबा दिनांक 19.07.2020 द्वारा कोरोना वायरस (Covid-19) के प्रसार की रोकथाम हेतु कोरबा जिले के नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में दिनांक 23.07.2020 से 28.07.2020 तक लॉक डाउन होने के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को परिवर्तित करते हुये दिनांक 07.08.2020 की सांय 5 बजे तक निर्धारित किया जाता है।

खाद्य अधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)
24/7/2020

पृ0 क्रमांक 6231 /खाद्य/उ.मू. दु.आबंटन /2020 कोरबा दिनांक 24/07/2020

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. स्टेनो टू कलेक्टर कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा की ओर सूचनार्थ।
4. उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा की ओर सूचनार्थ।
5. उपसंचालक, जन संपर्क विभाग कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पेपर में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अधिकारी(NIC)कोरबा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्तनुसार प्रेसविज्ञप्ति को कोरबा जिले केविभागीय बेवासाईडमें अपलोड़ करने का कष्ट करे।
7. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड हेतु।

खाद्य अधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)
24/7/2020

Scanned with CamScanner